



कार्यालय
बहिष्कारी अभियान
हरियाणा सॉसियल मूवमेंट्स
कानपुर

पत्रांक :- 787 (बैठकों सम्बन्ध) (ख.क.) दिनांक 8-8-2017

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
की धारा-4 (1) की विभिन्न श्रेणियों की
16 बिन्दुओं के सूचना के सन्दर्भ में।

अधीनस्थ अभियन्ता, सिचार्ड कार्यालय मण्डल प्रथम कमप्लेक्स।

आपके उपरोक्त विषयक पत्र के
अनुपालन में अवगत कराना है कि इस खण्ड
द्वारा माँगी गई 16 बिन्दुओं की सूचना निर्धारित
प्राप्ति पर तैयार कर आशिम एवं आवश्यक कामबिंदी
देने प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

श्री नजदीक,
अधी. अ.क.
Am. 709/2017

बहिष्कारी अभियान
हरियाणा सॉसियल मूवमेंट्स
कानपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
केरल यॉब्स अनुरक्षण खण्ड, कन्नूर

वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के उपधारा -1 के प्राविधानों के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं की अद्यतन सूचना

क्र०	बिन्दु	विवरण
1	2	3
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	1- इस अनुरक्षण खण्ड द्वारा उ०प्र० सरकार के अधीन सिंचाई विभाग के यॉब्स वॉरंटों/ बॉण्डों पर जल यॉब्स संयंत्रों पर मरम्मत कार्य कराया जाता है।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	2- उ०प्र० सरकार द्वारा निहित आदेशों एवं आई. एम. ओ. में निहित प्राविधानों के अनुसार
	1. अधिशासी अभियन्ता	— तर्क —
	2. सहायक अभियन्ता	— तर्क —
	3. चिकित्साधिकारी	— तर्क —
	4. उपराजस्व अधिकारी	— तर्क —
	5. खण्डीय लेखाधिकारी	— तर्क —
	6. अवर अभियन्ता	— तर्क —
	7. अनुसचिवीय अधिष्ठान	— तर्क —
	8. राजस्व अधिष्ठान	— तर्क —
	9. ड्राइंग स्टाफ	— तर्क —
	10. चतुर्थ श्रेणी	— तर्क —
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	3- उपरोक्त कठिणता-2 के अनुसार
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	4- उपरोक्त कठिणता-2 के अनुसार
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	5- राज्य आचरण नियमावली एवं वितीय डेप्ट प्रोत्तिष्ठाओं तथा समय-समय पर प्राप्त शासनादेशानुसार
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण।	6- शासनादेश सं. 1725/सं. एण्ड एम-68/1962 दिनांक 24-10-1963 में सिद्ध प्राविधानों के अनुसार
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के मतियों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा	7- शिफायत पेटिशन जन सूचना अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु पेटिशन अनुरक्षण खण्ड 89 बेंगल कन्नूर के गेट नं० पास लगा हुआ है।

कन्नूर, पत्र 25

8 ऐसे बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है की क्या उन बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकों जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।

8- यह राजकीय प्रतिष्ठान है।
उत्तर लागू नहीं है।

9 अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

9- विभागीय आदेश, शासनादेशा आदेशों को स्व आचरण नियमावली के अनुसार

10 अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकार की प्रणाली सम्मिलित है।

10- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के

पद	वेतनमान
1- आदिशासी अभियन्ता	15600-39100
2- सहायक अभियन्ता	15600-39100
3- अवर अभियन्ता	9300-34800
4- लीडिंग लेबाकर	9300-34800
5- आसुक्तिपत्र	5200-20200
6- प्रालिपकर	5200-20200
7- प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800
8- वारंट सहायक	5200-20200
9- प्रधान सहायक	5200-20200
10- कनिष्ठ सहायक	5200-20200
11- सहायक	5200-20200
12- मंड	5200-20200
13- सहायक	5200-20200
14- सहायक	5200-20200
15- सहायक	5200-20200
16- सहायक	5200-20200
17- सहायक	5200-20200
18- सहायक	5200-20200

11 सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभीकरण को आवंटित बजट।

11- कामों क्रमदः- इस अनुक्रम खण्ड द्वारा सारवसीमा के अन्तर्गत कराया जाला है जिसमें बजट की आवश्यकता दर्शाई है।
समस्त अधिकारी/कर्मचारी का वेतन व भत्ते आधार विवरण अधिकाधिक जो प्राप्त बजट के अनुसार भुगतान किया जाला है।

12 सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहकों के ब्योरे सम्मिलित है।

12- इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।

13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां।

13- इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।

14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।

14- विभाग में फाइलर फॉक्स उपलब्ध है।

15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।

15- भारत का कोई भी नागरिक कौचित्त छूफ कार्यालय से किसी भी काम दिवस के नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।

16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

16- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के मर्कट के अन्तर्गत अन्तर्गत एक कानून मिचार्ड विम. इतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी जो आदिशासी अभियन्ता काम नामित है।
1- श्री पंकज कुमार वर्मा
2- श्री अनीस अहमद
आदिशासी अभियन्ता
जन सूचना अधिकार
सहायक अभियन्ता
सहायक जन सूचना अधिकारी

विभागीय अधिकारी
राज्य सूचना आयोग
कानपुर